संख्या- 720 /77-6-13-13(एम)/12(ए)

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उद्योग बन्धु,
12-सी, माल एवेन्यू,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2013

विषय : उद्योग बन्धु के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि मा. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 07 मई, 2013 में उद्योग बन्धु के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। तत्क्रम में उद्योग बन्धु के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन्स एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन्स की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत उद्योग बन्धु के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन्स एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन्स संशोधित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2. उद्योग बन्धु के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन में संशोधन, बैठकों की व्यवस्था में संशोधन, उद्योग बन्धु की आंतरिक संरचना अथवा बजट व्यवस्था में संशोधन मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त ही किए जा सकेंगे।

3. उद्योग बन्धु की आन्तरिक संरचना में संशोधन का प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से 04 प्रकोष्ठों क्रमशः **निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, आई.टी. प्रकोष्ठ, औद्योगिक फैसिलिटेशन प्रकोष्ठ एवं नालेज बैंक प्रकोष्ठ** का निम्नानुसार गठन किया जाना है:-

अ. <u>निवेश-प्रोत्साहन प्रकोष्ठ</u> -

औद्योगिक व अवस्थापना सम्बन्धी नीति तैयार करना, अन्य विनिर्माण सम्बन्धी विभिन्न विभागों की नीतियों को तैयार करने में सहयोग देना, विभिन्न विभागों की घोषित नीतियें का प्रचार-प्रसार करना, प्रदेश में निवेश आकर्षण हेतु कार्य करना, निवेश में होने वाली कठिनाइयों का दूर करना, नॉलेज पार्टनर, इवेन्ट मैनेजर, मीडिया मैनेजमेन्ट एजेन्सी, पी.आर. एजेन्सी आदि चिन्हित कर उनसे कार्य कराना, निवेश को प्रोत्साहन हेतु रोड शो, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करना, मेगा इकाईयों को प्रोत्साहित करने की योजना, औद्योगिक परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारी नामित करने की योजना तथा अन्य विभागों को निवेश प्रोत्साहन हेतु सहयोग करना आदि इस सेल का दायित्व होगा।

ब. <u>आई.टी. प्रकोष्ठ</u> –

निवेशको को निवेश सम्बन्धी सुलभ सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु ई-गवर्नेंस के अंतर्गत वेब पोर्टल तैयार करना, इस हेतु निजी तकनीकी परामर्शी की सहायता लेना, ई-विज वेबपोर्टल की स्थापना एवं संचालन, निवेश-मित्र व्यवस्था क सफलतापूर्वक संचालन, उद्योग बन्धु क वेबसाइट संचालित करना आदि इस प्रकोष्ठ का दायित्व होगा।

स. <u>औद्योगिक फैसिलिटेशन प्रकोष्ठ</u> –

इसके अन्तर्गत जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु/मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु की समस्य निस्तारण का अनुश्रवण व समीक्षा कराना, जिला व मण्डलीय उद्योग बन्धु से प्राप्त समस्याओ का निस्तारण त्रिपक्षीय बैठकों, ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' व ''उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति'' की बैठकों के माध्यम से कराना, राज्य स्तर पर सभी बैठकें आयोजित कराना, अवशेष स्मस्याओं सम्बन्धी सूचनाएं संकलित करना, तथा मा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन कराना आदि इस प्रकोष्ठ का प्रमुख दायित्व होगा।

द. <u>नालेज बैंक प्रकोष्ठ</u> –

औद्योगिकरण तथा निवेश सम्बन्धी विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्र करना, संभावित निवेश हेतु सेक्टरवार व क्षेत्रवार औद्योगिक एवं अवस्थापना के आंकड़े एकत्र करना, रिसर्च स्टडी, औद्योगिक पूर्वानुमान, सेक्टर सम्बन्धी जानकारी एकत्र करना, आवश्यकतानुसार अन्य सूचना एकत्र करन, अन्य प्रदेशों के तुलनात्मक आंकड़े तैयार करना एवं निवेश सम्बन्धी डाटा बैंक का सुदृढ़ीकरण करना, औद्योगिकरण से सम्बन्धित बुकलेट, ब्रोसर प्रकाशित कराना, इन समस्त दायित्वों हेतु आवश्यकतानुसार निजी परामर्शी की स्हायता लेना आदि इस प्रकोष्ठ का प्रमुख दायित्व होगा।

3. उद्योग बन्धु के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था किये जाने के लिए अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को अधिकृत किया जाता है। मानव संसाधन की व्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र से प्रोफेशनल व्यक्तियों को संविदा के आधार पर रखा जाना, कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उद्योग बन्धु में सम्वद्ध करना, सेवानिवृत्त क्षेत्र विशेष के जानकार व्यक्तियों को संविदा पर रखा जाना, निजी व्यावसायिक एजेन्सी से अनुबन्ध पर प्रोफेशनल व्यक्तियों का रखा जाना, निजी व्यावसायिक/तकनीकी परामर्शियों की सेवा लिया जाना, उद्योग बन्धु के वर्तमान मानव संसाधन को यथावश्यक प्रशिक्षण व प्रोन्नति प्रदान कर विशेषज्ञ बनाया जाना आदि किया जा सकता है।

4. अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त</u>

भवदीय

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव